भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 799

उत्तर देने की तारीख : 21.07.2022

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

799. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पाच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं में से प्रत्येक योजना के लिए आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का योजना-वार, वर्ष-वार, और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित और हासिल किए गए भौतिक लक्ष्यों का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय कोई कमिया पाई गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त में से किसी भी योजना का समय और लागत अधिक है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् ईसाई, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी और जैन के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए तेलंगाना राज्य सहित देश भर में निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करता है:

I. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

(क): शैक्षणिक सशक्तीकरण योजनाएं:

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना- कक्षा I से X तक के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना- कक्षा XI से पीएच.डी तक के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है। मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना- स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है। सभी तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर दिया गया है और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से किया जाता है।

(2) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना - योजना के तहत ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने UGC-NET या संयुक्त CSIR UGCNET परीक्षा पास की हो।

(3) नया सवेरा - निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना - योजना का उद्देश्य तकनीकी/मेडिकल/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है।

(4) पढ़ो परदेश - योजना के तहत विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

(5) नई उड़ान - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राज्य लोक सेवा आयोगों (PSC) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) रोजगारोन्मुख योजनाएं:

(6) सीखो और कमाओ- 14-35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के कौशल विकास की योजना तथा इसका उद्देश्य मौजूदा कामगारों, स्कूल ड्रापआउट्स आदि की रोजगारपरकता में सुधार करते हुए रोजगार एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

(7) उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण):- अल्पसंख्यक समुदायों से पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों को स्वरोजगार, बाजार तथा अवसर प्रदान करने का एक प्रभावशाली मंच। कारीगरों/शिल्पकारों को रोजगार के अवसर व बाजार उपलब्ध कराने हेतु देशभर में हुनर हाटों का आयोजन किया जा रहा है।

(8) नई मंजिल- स्कूल ड्रापआउट्स या मदरसों जैसे सामुदायिक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षितों को औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल प्रदान करने हेतु योजना।

(9) नई रोशनी - अल्पसंख्यक समुदायों तथा गैर-अल्पसंख्यक समुदायों (प्रत्येक बैच के 25% से अधिक नहीं) की महिलाओं में नेतृत्व विकसित करना।

(ग) विशेष योजनाएं:

(10) जियो पारसी - भारत में पारसियों की आबादी में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना।

(11) हमारी धरोहर - भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।

(12) i. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) - इस योजना का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड रखने में सुव्यवस्था लाने, पारदर्शिता लाने और कम्प्यूटरीकृत करने में मदद करना है।

ii. शहरी वक्फ संपदा विकास योजना (SWSVY) - इस योजना के तहत देश के विभिन्न वक्फ बोर्डों और वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवन जैसे कि वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण के लिए वक्फ बोर्डों (WB)/वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है,

II. केंद्र प्रायोजित योजनाएं

(घ): बुनियादी ढांचा विकास योजना:

(13) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) - एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को चिन्हित क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से तेलंगाना के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है।

14. मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM)

मदरसों/अल्पसंख्यकों को प्रदान की जाने वाले शिक्षा हेतु योजना (SPEMM) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 1 अप्रैल, 2021 से शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अंतरित कर दिया गया है। SPEMM में दो योजनाएं शामिल हैं, अर्थात् (i) मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM) और (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास (IDMI)। एसपीक्यूईएम योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक संस्थाओं जैसे मदरसों और मकतबों को उनके पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करना है ताकि इन संस्थाओं में कक्षा I-XII के बच्चों को शैक्षणिक दक्षता प्राप्त हो सके। पारंपरिक मदरसों और मकतबों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक है। आईडीएमआई के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों (प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों) को समग्र शिक्षा मानदंडों के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई वास्तविक उपलब्धि और निधियों का विवरण अनुबंध में है।

(घ) से (ङ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का मूल्यांकन समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा देश भर में योजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए किया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, योजनाओं में और बदलाव किए जाते हैं ताकि ताकि योजनाओं को कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में अधिक कुशल बनाया जा सके।

*****

<u>अनुबंध</u>

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 799 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 21.07.2022 को उत्तर के लिए 2017-18 से 2021-22 तक पिछले पांच वर्षों के लिए तेलंगाना राज्य में जारी/स्वीकृत राशि व वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाता है ।

योजना का नाम	**वास्तविक उपलब्धियां**	**जारी राशि/स्वीकृत (करोड़ रु. में)**
छात्रवृत्ति	9,57,768	410.21
एमएएनएफ	83	N.A.
नई रोशनी	675	0.22
पढ़ो परदेश	318	1.97
नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	1750	7.72
नई उड़ान	13	0.03
नई मंजिल	5607	14.27
सीखो और कमाओ	10967	NA
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	70*	317.23
उस्ताद	180	NA

*स्कूल भवन- 4
आवासीय स्कूल- 47
स्कूल के लिए छात्रावास-/आईटीआई/पोलिटेक्निक - 8
सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल -11

*****